सनातन धर्म रक्षा अखाड़ा परिषद
राष्ट्रीय पद-सोपान, नियुक्ति एवं संगठनात्मक नियमावली
प्रारूप-2026

अध्याय 1 — प्रस्तावना

सनातन धर्म रक्षा अखाड़ा परिषद का उद्देश्य सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं, मंदिरों, धार्मिक स्थलों, संत परंपरा, गौसेवा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, संस्कार एवं धर्म-जागरण के लिए एक अनुशासित और उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठनात्मक व्यवस्था स्थापित करना है।

परिषद की संरचना ऐसी होगी जिसमें प्रत्येक धार्मिक पद केवल सम्मानसूचक उपाधि न होकर उसके साथ निश्चित सेवा-क्षेत्र, उत्तरदायित्व, अधीनस्थ संगठन और धर्मरक्षक परिवार जुड़े हों।

इस नियमावली का मूल सिद्धांत होगा–

"जितना बड़ा पद, उतना बड़ा उत्तरदायित्व।"

अध्याय 2 — संगठन का मूल आधार

परिषद की सबसे छोटी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई "धर्मरक्षक परिवार" होगी।

एक परिवार से प्रारंभ होकर संगठन क्रमशः पुजारी, महंत, श्री महंत, मंडल महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर तक विकसित होगा।

मूल पद- सोपान

अखाड़ाधीपति / अखाड़ाधीश्वर
↓
आचार्य महामंडलेश्वर
↓
महामंडलेश्वर
↓
मंडलेश्वर
↓
मंडल महंत
↓
श्री महंत
↓
महंत
↓
पुजारी
↓
धर्म रक्षक
↓
धर्मरक्षक परिवार

अध्याय 3 – संख्या आधारित संगठनात्मक व्यवस्था

स्तर 1 – धर्मरक्षक परिवार

एक पंजीकृत परिवार परिषद की मूल संगठनात्मक इकाई माना जाएगा।

परिवार का कम से कम एक वयस्क सदस्य “धर्म रक्षक” के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा।

धर्म रक्षक का कार्य होगा–

धार्मिक एवं सामाजिक सेवा में सहभागिता करना, स्थानीय कार्यक्रमों में सहयोग करना, मंदिर एवं धार्मिक स्थलों की सेवा में योगदान देना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, पर्यावरण एवं गौसेवा जैसे सेवा कार्यों में भाग लेना तथा परिषद के संविधान एवं अनुशासन का पालन करना।

किसी धर्म रक्षक को पुलिस, सैन्य अथवा कानून-प्रवर्तन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

अध्याय 4 — पुजारी

संगठनात्मक आधार

1 पुजारी = 21 धर्मरक्षक परिवार

अर्थात प्रत्येक पुजारी के सेवा-संपर्क क्षेत्र में न्यूनतम 21 पंजीकृत धर्मरक्षक परिवार रखने का लक्ष्य होगा।

पुजारी की भूमिका

पुजारी परिषद का प्रथम आध्यात्मिक मार्गदर्शक होगा।

उसका कार्य होगा—

धार्मिक संस्कारों का मार्गदर्शन, पूजा-पद्धति संबंधी सहायता, धर्मरक्षक परिवारों से नियमित संपर्क, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन, सेवा कार्यों को प्रोत्साहन तथा महंत को नियमित संगठनात्मक रिपोर्ट देना।

अध्याय 5 — महंत

संगठनात्मक आधार

1 महंत = 11 पुजारी

इस प्रकार—

11 पुजारी × 21 परिवार

= 231 धर्मरक्षक परिवार

अतः एक महंत के अंतर्गत न्यूनतम संगठनात्मक लक्ष्य होगा:

11 पुजारी + 231 धर्मरक्षक परिवार

महंत के प्रमुख दायित्व

महंत अपने क्षेत्र के पुजारियों का मार्गदर्शन करेगा।

वह धार्मिक कार्यक्रमों, सेवा अभियानों, प्रशिक्षण, अनुशासन तथा परिवार संपर्क कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा।

अध्याय 6 — श्री महंत
संगठनात्मक आधार
1 श्री महंत = 7 महंत

अर्थात–

7 महंत

77 पुजारी

1,617 धर्मरक्षक परिवार

एक श्री महंत अपने अधीन सभी महंतों के कार्यों की समीक्षा करेगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर परिषद की आध्यात्मिक गतिविधियों का समन्वय करेगा।

अध्याय 7 — मंडल महंत
संगठनात्मक आधार
1 मंडल महंत = 5 श्री महंत

इस प्रकार एक मंडल महंत के अंतर्गत:

5 श्री महंत
35 महंत
385 पुजारी
8,085 धर्मरक्षक परिवार
होंगे।

मंडल महंत अपने निर्धारित मंडल के धार्मिक एवं संगठनात्मक समन्वय का उत्तरदायी होगा।

अध्याय 8 — मंडलेश्वर

संगठनात्मक आधार

1 मंडलेश्वर = 5 मंडल महंत

अर्थात एक मंडलेश्वर के अंतर्गत:

5 मंडल महंत
25 श्री महंत
175 महंत
1,925 पुजारी
40,425 धर्मरक्षक परिवार
का संगठनात्मक लक्ष्य होगा।

मंडलेश्वर की भूमिका

मंडलेश्वर बड़े भौगोलिक क्षेत्र में आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करेगा।

वह अधीनस्थ मंडल महंतों की समीक्षा करेगा और महामंडलेश्वर के समक्ष क्षेत्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 9 — महामंडलेश्वर

महामंडलेश्वर परिषद का अत्यंत वरिष्ठ एवं गरिमामय आध्यात्मिक पद होगा।
यह केवल सम्मान प्रदान करने वाली उपाधि न होकर वास्तविक धार्मिक सेवा, नेतृत्व, अनुभव एवं स्थापित संगठन से जुड़ा पद होगा।

संगठनात्मक आधार

1 महामंडलेश्वर = 5 मंडलेश्वर

इस प्रकार एक पूर्ण विकसित महामंडलेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत:

5 मंडलेश्वर
25 मंडल महंत
125 श्री महंत
875 महंत
9,625 पुजारी
2,02,125 धर्मरक्षक परिवार
का संगठनात्मक लक्ष्य होगा।

अर्थात लगभग दो लाख धर्मरक्षक परिवारों के संगठनात्मक क्षेत्र पर एक महामंडलेश्वर का पद स्थापित किया जा सकेगा।

अध्याय 10 — महामंडलेश्वर बनने की योग्यता

केवल निर्धारित संख्या पूरी करने से महामंडलेश्वर पद स्वतः प्राप्त नहीं होगा।

इसके लिए निम्न आधारों पर परीक्षण किया जाएगा–

1. सनातन धर्म के प्रति निष्ठा।
2. धार्मिक एवं सामाजिक सेवा का प्रमाणित इतिहास।
3. संत समाज में स्वीकार्यता।
4. उत्कृष्ट चरित्र एवं सार्वजनिक आचरण।
5. परिषद के संविधान का पालन।
6. निर्धारित प्रशिक्षण।
7. अधीनस्थ संगठन को संभालने की क्षमता।
8. परिषद की अनुशासन समिति से स्वीकृति।
9. वरिष्ठ धर्माचार्य मंडल की अनुशंसा।
10. आचार्य महामंडलेश्वर एवं सक्षम केंद्रीय प्राधिकारी की अंतिम स्वीकृति।

अध्याय 11 — भारत में महामंडलेश्वर व्यवस्था

राष्ट्रीय स्तर पर महामंडलेश्वर की संख्या अनियंत्रित नहीं रखी जाएगी।

प्रथम राष्ट्रीय लक्ष्य

51 महामंडलेश्वर

दीर्घकालीन अधिकतम संगठनात्मक लक्ष्य

108 महामंडलेश्वर

लेकिन 108 पदों को केवल संख्या पूरी करने के लिए नहीं भरा जाएगा।

जिस क्षेत्र में निर्धारित संगठनात्मक एवं आध्यात्मिक आधार विकसित होगा, वहीं महामंडलेश्वर क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

अध्याय 12 — आचार्य महामंडलेश्वर

सभी महामंडलेश्वरों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर का पद होगा।

आचार्य महामंडलेश्वर परिषद की आध्यात्मिक दिशा, धार्मिक मर्यादा, संत परंपरा, प्रशिक्षण व्यवस्था और उच्च धार्मिक नियुक्तियों का मार्गदर्शन करेगा।

आचार्य महामंडलेश्वर सामान्य प्रशासनिक अधिकारी के बजाय परिषद का सर्वोच्च प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक होगा।

अध्याय 13 — अखाड़ाधीपति / अखाड़ाधीश्वर

अखाड़ाधीपति/अखाड़ाधीश्वर परिषद की सर्वोच्च संस्थागत नेतृत्व व्यवस्था का पद होगा।

जहाँ परिषद के संस्थागत संविधान में आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ाधीश्वर का दायित्व एक ही व्यक्ति को सौंपा गया हो, वहाँ वह व्यक्ति–

"आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ाधीश्वर" के रूप में कार्य कर सकेगा।

इस पद का दायित्व परिषद की मूल विचारधारा, संविधान, संत परंपरा, संगठन की एकता एवं दीर्घकालीन दिशा की रक्षा करना होगा।

अध्याय 14 — धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था अलग होगी

परिषद में दो समानांतर लेकिन समन्वित व्यवस्थाएँ होंगी।

आध्यात्मिक/धार्मिक व्यवस्था

→अखाड़ाधीश्वर
→ आचार्य महामंडलेश्वर

→ महामंडलेश्वर
→ मंडलेश्वर
→ मंडल महंत
→ श्री महंत
→ महंत
→ पुजारी
→ धर्म रक्षक

प्रशासनिक व्यवस्था

→राष्ट्रीय अध्यक्ष
→ राष्ट्रीय कार्यकारिणी
→ प्रदेश अध्यक्ष
→ संभागीय पदाधिकारी
→ जिला अध्यक्ष
→ तहसील/ब्लॉक अध्यक्ष
→ नगर/ग्राम इकाई

धार्मिक पदाधिकारी संगठन को आध्यात्मिक दिशा देंगे जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी दैनिक प्रबंधन एवं संगठन संचालन करेंगे।

अध्याय 15 – पद प्राप्त करने की प्रक्रिया

किसी व्यक्ति को केवल आर्थिक सहयोग, प्रभाव, प्रसिद्धि अथवा व्यक्तिगत संबंध के आधार पर धार्मिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक नियुक्ति में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

आवेदन/नामांकन → सत्यापन → सेवा-अभिलेख → प्रशिक्षण → परीक्षा/संवाद → अनुशंसा → सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति → शपथ → नियुक्ति-पत्र → पहचान-पत्र।

अध्याय 16 – न्यूनतम सेवा अवधि

सामान्य परिस्थितियों में उच्च पदों पर क्रमिक प्रगति को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रस्तावित न्यूनतम अवधि:

पुजारी – प्रशिक्षण/योग्यता के बाद नियुक्ति।
महंत – पुजारी स्तर पर न्यूनतम 2 वर्ष की सक्रिय सेवा।
श्री महंत – महंत स्तर पर न्यूनतम 3 वर्ष।
मंडल महंत – श्री महंत स्तर पर न्यूनतम 3 वर्ष।
मंडलेश्वर – वरिष्ठ धार्मिक सेवा एवं नेतृत्व का न्यूनतम 5 वर्ष का प्रमाणित अनुभव।

महामंडलेश्वर – दीर्घकालीन उत्कृष्ट आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा तथा केंद्रीय धर्माचार्य परिषद की विशेष स्वीकृति।

विशिष्ट संत, धर्माचार्य अथवा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक व्यक्तित्व के मामले में सक्षम उच्च परिषद कारण दर्ज करके विशेष नियुक्ति कर सकेगी।

अध्याय 17 – प्रशिक्षण व्यवस्था

परिषद द्वारा "धर्म रक्षक प्रशिक्षण एवं धर्माचार्य अध्ययन व्यवस्था" विकसित की जाएगी।

प्रशिक्षण में मुख्यतः निम्न विषय सम्मिलित होंगे:

सनातन धर्म का मूल परिचय, भारतीय दर्शन, धर्मग्रंथों का परिचय, मंदिर परंपरा, पूजा एवं संस्कार, भारतीय संस्कृति, संत परंपरा, सामाजिक सेवा, गौसेवा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, आपदा सेवा, भारतीय संविधान एवं कानून का सामान्य परिचय, सामाजिक सद्भाव, संगठनात्मक अनुशासन एवं नेतृत्व।

अध्याय 18 – पद की समीक्षा

हर पदाधिकारी की निश्चित अवधि में समीक्षा होगी।

समीक्षा में देखा जाएगा–

अधीनस्थ संगठन सक्रिय है या नहीं; निर्धारित परिवार वास्तव में पंजीकृत एवं सक्रिय हैं या नहीं; सेवा कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं; आर्थिक एवं प्रशासनिक पारदर्शिता है या नहीं; कोई गंभीर अनुशासनात्मक शिकायत तो नहीं है।

इससे कागज पर सदस्य बनाकर पद प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोका जाएगा।

अध्याय 19 — पदोन्नति व्यवस्था

पदोन्नति के चार मुख्य आधार होंगे:

सेवा + संगठन + योग्यता + चरित्र

इन चारों में संतोषजनक स्थिति होने पर ही अगले धार्मिक पद पर विचार किया जाएगा।

सदस्य संख्या अथवा धन-संग्रह अकेले पदोन्नति का आधार नहीं होंगे।

अध्याय 20 — अनुशासन एवं पदमुक्ति

निम्न परिस्थितियों में जांच प्रारंभ की जा सकेगी:

परिषद के नाम का दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता, फर्जी सदस्यता, गंभीर आपराधिक दुराचरण, धार्मिक पद का निजी व्यावसायिक लाभ के लिए अनुचित उपयोग, सामाजिक वैमनस्य फैलाना, परिषद की संपत्ति का दुरुपयोग अथवा संविधान का गंभीर उल्लंघन।

किसी पदाधिकारी को सामान्यतः आरोप की जानकारी और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना अंतिम दंड नहीं दिया जाएगा।

दोष की गंभीरता के अनुसार चेतावनी, निलंबन अथवा पदमुक्ति की जा सकेगी।

अध्याय 21 — पहचान व्यवस्था

प्रत्येक पद के लिए अलग पहचान-पत्र तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित बैज/पट्टिका बनाई जा सकती है।

पहचान-पत्र पर निम्न विवरण रहेंगे:

नाम, फोटो, पद, सदस्यता क्रमांक, नियुक्ति क्षेत्र, वैधता अवधि, जारीकर्ता प्राधिकारी तथा सत्यापन हेतु QR/डिजिटल पहचान।

परिषद का पहचान-पत्र किसी सरकारी पहचान-पत्र, पुलिस अधिकार अथवा सरकारी पद का विकल्प नहीं होगा।

अध्याय 22 — डिजिटल संगठन

पूरे भारत के लिए केंद्रीय डिजिटल रजिस्टर बनाया जाएगा।
प्रत्येक धर्मरक्षक परिवार को एक विशिष्ट Family ID तथा प्रत्येक सदस्य/पदाधिकारी को अलग Member ID दिया जा सकता है।

डिजिटल व्यवस्था में पद-सोपान इस प्रकार लिंक रहेगा:
परिवार → पुजारी → महंत → श्री महंत → मंडल महंत → मंडलेश्वर → महामंडलेश्वर।

इससे किसी भी महामंडलेश्वर के अंतर्गत वास्तविक सक्रिय परिवारों एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों की संख्या सत्यापित की जा सकेगी।

अध्याय 23 — पदवार गणना का मास्टर चार्ट

पद	**प्रत्यक्ष**	**अधीनस्थ**	**पुजारी**	**महंत**	**श्री महंत**	**मंडल महंत**	**मंडलेश्वर**	**धर्मरक्षक परिवार**
पुजारी	21	परिवार	1	-	-	-	-	32
महंत	11	पुजारी	11	1	-	-	-	231
श्री महंत	7	महंत	77	7	1	-	-	1,617
मंडल महंत	5	श्री महंत	385	35	5	1	-	8,085
मंडलेश्वर	5	मंडल महंत	1,925	175	25	5	1	40,425
महामंडलेश्वर	5	मंडलेश्वर	9,625	875	125	25	5	2,02,125

अध्याय 24 51 महामंडलेश्वर वाला राष्ट्रीय मॉडल

यदि सभी 51 महामंडलेश्वर क्षेत्र अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता तक विकसित हो जाएँ, तो संगठनात्मक लक्ष्य लगभग होगा:

51 महामंडलेश्वर
255 मंडलेश्वर
1,275 मंडल महंत
6,375 श्री महंत
44,625 महंत
4,90,875 पुजारी

और लगभग

1,03,08,375 धर्मरक्षक परिवार।

अर्थात पूर्ण विकसित 51-क्षेत्रीय संरचना लगभग 1.03 करोड़ धर्मरक्षक परिवारों तक पहुँच सकती है।

यह दीर्घकालीन संगठनात्मक क्षमता है, प्रारंभिक अनिवार्य सदस्य संख्या नहीं।

अध्याय 25 108 महामंडलेश्वर वाला दीर्घकालीन मॉडल

108 पूर्ण विकसित महामंडलेश्वर क्षेत्रों की स्थिति में सैद्धांतिक संगठनात्मक क्षमता होगी:

108 महामंडलेश्वर
540 मंडलेश्वर
2,700 मंडल महंत
13,500 श्री महंत
94,500 महंत
10,39,500 पुजारी
2,18,29,500 धर्मरक्षक परिवार

यह अत्यंत दीर्घकालीन अधिकतम विस्तार मॉडल होगा।

अध्याय 26 – पद रिक्त रखने का सिद्धांत

परिषद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार कोई उच्च पद रिक्त रखा जा सकेगा।

यदि किसी क्षेत्र में महामंडलेश्वर बनने योग्य संगठन एवं व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उस क्षेत्र का प्रभार निकटवर्ती महामंडलेश्वर अथवा आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा नामित वरिष्ठ पदाधिकारी को दिया जा सकेगा।

पद भरना आवश्यक नहीं—पद की पात्रता पूरी होना आवश्यक है।

अध्याय 27 – संगठन का मूल सिद्धांत

सनातन धर्म रक्षा अखाड़ा परिषद में पद प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का उत्तरदायित्व होगा।
पुजारी परिवार को जोड़ेगा।
महंत पुजारियों को संभालेगा।
श्री महंत महंतों को दिशा देगा।
मंडल महंत क्षेत्र को संगठित करेगा।
मंडलेश्वर अनेक मंडलों का समन्वय करेगा।
महामंडलेश्वर व्यापक क्षेत्र का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा।
आचार्य महामंडलेश्वर संपूर्ण व्यवस्था को आध्यात्मिक दिशा देगा।
और अखाड़ाधीश्वर परिषद की एकता, मर्यादा और मूल उद्देश्य की रक्षा करेगा।

परिषद का संगठनात्मक सूत्र

"एक परिवार से धर्म रक्षा –
इक्कीस परिवारों से पुजारी –
ग्यारह पुजारियों से महंत –
सात महंतों से श्री महंत –
पाँच श्री महंतों से मंडल महंत –
पाँच मंडल महंतों से मंडलेश्वर –
पाँच मंडलेश्वरों से महामंडलेश्वर –
और समस्त महामंडलेश्वरों के मार्गदर्शन हेतु आचार्य महामंडलेश्वर।"